



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237602
CG-DL-E-27072022-237602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3249]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3249]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3411(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 का कि.मी. 220.700 से कि. मी. 226.600 (डिजाइन श्रृंखला कि.मी. 220.700 से कि. मी. 227.480 तक) (नंदीगामा बाईपास) और कि. मी. 238.200 से कि. मी. 245.400 (डिजाइन श्रृंखला कि. मी. 238.200 से कि. मी. 245.760) (कांचिकाचेरला बाईपास) तक के खंड में निर्माण (चौड़ा करने /4/6-लेन बनाने आदि) प्रबंधन और संचालन, रखरखाव के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित राज्य, जिला, तालुक और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के कार्यों को करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

आंध्र प्रदेश जिला (गठन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 7) के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के गजट भाग- I, असाधारण संख्या 484, G.27, दिनांक 03.04.2022 के तहत, नए एन.टी.आर. जिला के गठन के परिणामस्वरूप, दिनांक 22 दिसंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 22 दिसंबर, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना S.O.4019 (अ) और, दिनांक 27 फरवरी, 2018 को भारत के राजपत्र,

असाधारण भाग- II-खंड 3 - उप-खंड (ii) दिनांक 27 फरवरी, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना S.O.844 (अ) को अमान्य माना जाता है।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में किमी 220.700 से किमी 226.600 (डिजाइन श्रृंखला कि. मी. 220.700 से कि. मी. 227.480 तक) (नंदीगमा बाईपास) और कि. मी. 238.200 से कि.मी. 245.400 (डिजाइन श्रृंखला कि. मी. 238.200 से कि. मी. 245.760 तक) (कांचिकाचेरला बाईपास) के संबंध में भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	जॉयंट कलेक्टर, एंन्टीआर् डिस्ट्रिक्ट, विजयवाड़ा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH65 के कि.मी. 220.7 से 245.4 तक	आंध्र प्रदेश	एन्टीआर	नंदीगमा	<table><tr><td>1</td><td>नंदीगमा</td></tr><tr><td>2</td><td>अम्बरुपेट</td></tr></table>	1	नंदीगमा	2	अम्बरुपेट
					1	नंदीगमा				
					2	अम्बरुपेट				
					कांचिकचेरला	<table><tr><td>1</td><td>परिताला</td></tr><tr><td>2</td><td>कंचिकचेरला</td></tr><tr><td>3</td><td>कीसरा</td></tr></table>	1	परिताला	2	कंचिकचेरला
1	परिताला									
2	कंचिकचेरला									
3	कीसरा									

[फा. सं. NHAI/PIU-VIJ/11084/LA/NH-65 (N&K Bypass)/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3411(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, District, Taluks and Villages mentioned in column (4), (5), (6) & (7) respectively of the said Schedule for building (widening / 4/6-laning etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No.65 in the stretch from Km 220.700 to Km 226.600 (Design Chainage from Km.220.700 to Km. 227.480) (Nandigama Bypass) and from Km 238.200 to Km 245.400 (Design Chainage from Km.238.200 to Km.245.760) (Kanchikacherla Bypass) in the State of Andhra Pradesh.

Consequent to formation of new N.T.R. District vide Government of Andhra Pradesh Gazette Part-I, Extraordinary No.484, G.27, dated 03.04.2022 as per Andhra Pradesh District (Formation) Act, 1974 (Act No.7 of 1974), the Notification S.O.4019 (E), dated the 22nd December, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2017 and S.O.844 (E), dated the 27th February, 2018 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3 - Sub-section (ii) dated the 27th February, 2018, are stands invalid.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No.65 in the stretch from Km 220.700 to Km. 226.600 (Design Chainage from Km.220.700 to Km. 227.480) (Nandigama Bypass) and from Km 238.200 to Km. 245.400 (Design Chainage from Km. 238.200 to Km. 245.760) (Kanchikacherla Bypass) in the State of Andhra Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector, NTR District, Vijayawada	220.7KM To 245.4KM	ANDHRA PRADESH	NTR	Nandigama	1 Nandigama
						2 Ambarupet
					Kanchikacherla	1 Paritala
						2 Kanchikacherla
3 Keesara						

[F. No. NHAI/PIU-VIJ/11084/LA/NH-65 (N&K Bypass)/2022]

RAJESH GUPTA, Director